2018 का विधेयक संख्यांक 15

हिमाचल प्रदेश राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् (स्थापना और विनियमन) विधेयक, 2018

(विधान सभा में पुरःस्थापित रुप में)

हिमाचल प्रदेश राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् (स्थापना और विनियमन) विधेयक, 2018

खण्डों का क्रम

खण्डः

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।
2. परिभाषाएं।
3. परिषद् का गठन।
4. प्रथम अध्यक्ष।
5. सलाहकार समिति।
6. चयन समिति।
7. अध्यक्ष का कार्यकाल।
8. सदस्य का हटाया जाना।
9. परिषद् के कर्त्तव्य और कृत्य।
10. परिषद् की बैठक।
11. रिक्ति से कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना।
12. त्यागपत्र।
13. सदस्यों के भत्ते।
14. रिक्ति का होना।
15. वार्षिक लेखे और संपरीक्षा।
16. वार्षिक रिपोर्ट।
17. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।
18. परिषद् के अधिकारी और कर्मचारिवृंद।
19. परिषद् के सदस्य, अधिकारी और कर्मचारिवृंद का लोक सेवक होना।
20. विनियम बनाने की शक्ति।
21. कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति।
22. नियम बनाने की शक्ति।

2018 का विधेयक संख्यांक 15

हिमाचल प्रदेश राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् (स्थापना और विनियमन) विधेयक, 2018

(विधान सभा में पुरःस्थापित रुप में)

उच्चतर शिक्षा के समन्वित विकास के लिए राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् (एस0एच0ई0सी0) की स्थापना, निगमन और विनियमन करने तथा इसके क्रियाकलापों का विनियमन करने और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए **विधेयक।**

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित होः–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2018 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) ''अध्यक्ष'' से, परिषद् का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ख) ''महाविद्यालय'' से, स्वायत्त महाविद्यालय सहित किसी विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित या अनुमोदित, या उससे संबद्ध कोई महाविद्यालय या संस्था अभिप्रेत है, जो प्रवेश से परीक्षा तक पाठ्य विवरण के अध्ययन की सुविधा प्रदान करता है;

(ग) ''परिषद्'' से, धारा 3 के अधीन गठित हिमाचल प्रदेश राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् अभिप्रेत है;

(घ) ''सरकार'' या ''राज्य सरकार'' से, हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;

(ङ) ''उच्चतर शिक्षा'' से, शिक्षा की कोई भी शाखा (स्ट्रीम), चाहे वह अनुसंधान अध्ययन सहित वित्तीय, तकनीकी हो, जिसके लिए उपाधि, डिप्लोमा या प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाता है, अभिप्रेत है किन्तु इसके अन्तर्गत चिकित्सा, कृषि, पशुपालन और उद्यान–कृषि शाखा नहीं है; 5

(च) ''संस्था'' से, विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित या इसके विषेशाधिकार प्राप्त उच्चतर शिक्षा की कोई शैक्षणिक संस्था अभिप्रेत है;

(छ) ''सदस्य'' से, परिषद् का सदस्य अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी है; 10

(ज) ''विहित'' से, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(झ) ''राज्य'' से, हिमाचल प्रदेश राज्य अभिप्रेत है;

(ञ) ''विश्वविद्यालय'' से, राज्य विधानमण्डल द्वारा पारित किसी अधिनियम के अधीन स्थापित कोई विश्वविद्यालय अभिप्रेत है; 15

(ट) ''विश्वविद्यालय अनुदान आयोग'' से, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के अधीन स्थापित आयोग अभिप्रेत है; और 1956 का 3

(ठ) ''उपाध्यक्ष'' से, अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित परिषद् का उपाध्यक्ष अभिप्रेत है। 20

परिषद् का गठन।

3. (1) राज्य सरकार, राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित से गठित हिमाचल प्रदेश राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् के नाम से ज्ञात निकाय का गठन करेगी, अर्थात्:–

(क) पदेन सदस्य,–

(i) परिसिद्ध नेतृत्व गुणों से युक्त कोई ख्यातिप्राप्त शिक्षाविद् अध्यक्ष; 20

(ii) सचिव (उच्चतर शिक्षा), हिमाचल प्रदेश सरकार — उपाध्यक्ष;

(iii) किन्हीं दो राज्य शासकीय विश्वविद्यालयों के कुलपति — सदस्य;

(iv) केन्द्रीय विश्वविद्यालय का कुलपति — सदस्य;

(v) राज्य सरकार द्वारा द्विवार्षिक चक्रानुक्रम में नामनिर्देशित किए जाने वाले प्राइवेट विश्वविद्यालयों के दो कुलपति — सदस्य;

(vi) सचिव (वित्त), हिमाचल प्रदेश सरकार या उसका प्रतिनिधि, जो संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो — सदस्य;

(vii) सचिव (तकनीकी शिक्षा), हिमाचल प्रदेश सरकार या उसका प्रतिनिधि, जो संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो — सदस्य;

(viii) निदेशक, उच्चतर शिक्षा — सदस्य;

(ix) राज्य परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रुसा) — सदस्य–सचिव;

(ख) गैर–सरकारी सदस्य,–

(i) कला, विज्ञान, सिविल सोसाइटी, प्रौद्योगिकी या कौशल विकास के क्षेत्र में से राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाले पांच सदस्य — सदस्य;

(ii) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाले उद्योग से दो विशेषज्ञ — सदस्य;

(iii) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाले सम्बद्ध महाविद्यालयों के तीन प्रधानाचार्य — सदस्य;

(iv) मानव संसाधन विकास मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा नामनिर्देशित एक सदस्य — सदस्य; और

(v) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाला शिक्षाविद्, जिसके पास उच्चतर शिक्षा में योजना और नीति बनाने का अनुभव हो — सदस्य।

(2) परिषद् उपरोक्त नाम से एक निगमित निकाय होगी जिसका शाश्वत् उत्तराधिकार होगा और उसकी सामान्य मुद्रा होगी और उक्त नाम से वह वाद ला सकेगी और उस पर वाद लाया जा सकेगा।

(3) प्रत्येक नामनिर्देशित सदस्य का कार्यकाल छह वर्ष की अवधि के लिए होगा और उसके नामनिर्देशित सदस्यों में से एक–तिहाई सदस्य प्रत्येक दो वर्ष के पश्चात् सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

(4) परिषद् का मुख्यालय शिमला में होगा।

प्रथम अध्यक्ष।

4. परिषद् का प्रथम अध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा और वह तब तक इसी प्रकार बना रहेगा जब तक कि चयन समिति इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अध्यक्ष का चयन नहीं कर देती।

सलाहकार समिति।

5. (1) परिषद् के अध्यक्ष की नियुक्ति हेतु चयन समिति को संस्तुतियाँ देने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता के अधीन तीन सदस्यों की एक सलाहकार समिति होगी।

(2) सलाहकार समिति के अन्य दो सदस्य प्रख्यात शिक्षाविद् या ख्याति प्राप्त बुद्धिजीवी होंगे, जिनमें से एक को राज्य सरकार द्वारा और दूसरे को परिषद् द्वारा नामनिर्देशित किया जायेगा।

चयन समिति।

6. निम्नलिखित सदस्यों से गठित चयन समिति सलाहकार समिति की सिफारिश पर अध्यक्ष का चयन करेगी, अर्थात्:–

(क) मुख्य मन्त्री;
(ख) शिक्षा मन्त्री; और
(ग) राज्य विधान सभा में विपक्ष का नेताः

परन्तु शिक्षा का संविभाग यदि मुख्य मन्त्री के पास है, तो कोई अन्य मन्त्री, जो मुख्य मन्त्री द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए, चयन समिति का सदस्य होगा।

7. (1) अध्यक्ष का कार्यकाल पांच वर्ष की अवधि के लिए होगा। अध्यक्ष का कार्यकाल।

(2) परिषद् का अध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा हटाया जा सकेगा यदि उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक नहीं पाया जाता है।

8. (1) राज्य सरकार किसी सदस्य को हटा सकेगी यदि वह,— सदस्य का हटाया जाना।

(क) अनुन्मोचित दिवालिया हो गया है;

(ख) किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है और कारावास से दण्डादिष्ट किया गया है जो राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता से अन्तवर्लित है;

(ग) विकृत्तचित हो गया है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित कर दिया गया है;

(घ) कार्य करने से इन्कार करता है या कार्य करने में असमर्थ हो गया है;

(ङ) परिषद् से अनुपस्थिति की इजाजत लिए बिना परिषद् की तीन लगातार बैठकों से अनुपस्थित रहता है; या

(च) उसका कार्य और आचरण असंतोषजनक पाया जाता है।

(2) किसी सदस्य की निरर्हता से सम्बन्धित किसी विवाद पर सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा।

(3) कोई भी व्यक्ति तब तक परिषद् के सदस्य के रुप में नामनिर्दिष्ट किए जाने के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि वह स्नातक न हो।

परिषद् के कर्त्तव्य और कृत्य।

9. परिषद् के कर्तव्य और कृत्य निम्नलिखित होंगे,–

(क) राज्य के लिए उच्चतर शिक्षा (भावी योजना, वार्षिक योजना और बजट) की नीति पर संस्तुतियाँ देना;

(ख) राज्य के संस्थानों की योजना बनाने और उनका कार्यान्वयन करने में सहायता करना;

(ग) शिक्षा के अत्युतम संस्थानों, विनियामक निकायों और राज्य सरकार के मध्य समन्वय करना;

(घ) उच्चतर शिक्षा की योजना का निरीक्षण और कार्यान्वयन करना;

(ङ) सूचना प्रणाली की विरचना करना और इसके रख–रखाव का प्रबन्ध करना;

(च) सरकारी स्तर पर और संस्थान के स्तर पर समय–समय पर उच्चतर शिक्षा से सम्बन्धित डाटा का संग्रहण करना;

(छ) राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा मिशन द्वारा विरचित प्रमुख निष्पादन सूचकों के अनुसार राज्य में संस्थानों का मूल्यांकन करना और यदि अपेक्षित हो तो उनके लिए पैरामीटर (प्राचल) तैयार करना;

(ज) राज्य में अध्यापन गुणवत्ता और अनुसंधान में निरंतर वृद्धि के लिए योजना बनाना और उस पर उपायों का सुझाव देना;

(झ) परीक्षा प्रणाली में सुधारों के लिए सुझाव देना;

(ञ) पाठ्य विवरण को समकालीन और सुसंगत बनाना;

(ट) अनुसंधान में नवप्रवर्तन को प्रोत्साहित करना;

(ठ) राज्य में उच्चतर शिक्षा संस्थानों की स्वायत्तता के सुरक्षोपाय करना;

(ड) नए संस्थानों, महाविद्यालयों की स्थापना पर सुझाव देना;

(ढ) संस्थानों की मान्यता की प्रक्रियाओं को सुधारने हेतु उपायों का सुझाव देना;

(ण) सरकार को उच्चतर शिक्षा में विनिधानों से सम्बन्धित मामलों पर सलाह देना;

(त) विश्वविद्यालयों को विनियमों और उप–विधियों आदि को बनाने में सलाह देना;

(थ) राज्य सरकार के माध्यम से राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा मिशन के अभिदाय के रुप में प्राप्त रकम का प्रबंध करना;

(द) ऐसी प्रक्रियाएं संस्तुत करना, जैसी सरकार द्वारा संस्थानों को अनुदान प्रदान करने में अपेक्षित हों;

(ध) राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा मिशन के अधीन विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को वित्तीय सहायता अंतरित करने के लिए पारदर्शी प्रक्रिया बनाना और उसका अनुसरण करना;

(न) उच्चतर शिक्षा में पहुंच, श्रेष्ठता, समावेशन और निष्पक्षता की अभिवृद्धि करने हेतु किए जाने वाले उपायों पर सलाह देना;

(प) उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान के विकास में असंतुलनों (जिनके अन्तर्गत क्षेत्र, धर्म, शैक्षिक शाखाएं, लिंग और अन्य सामाजिक–आर्थिक कारक हैं) को दूर करने हेतु उपायों का सुझाव देना;

(फ) संस्थानों के प्रत्यायन और बेंचमार्किंग के मामलों में शैक्षिक उत्कृष्टता के प्रमापों और मानकों को विनिर्दिष्ट करना;

(ब) राज्य सरकार, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों या संस्थानों को और किसी विषय पर अनुसंधान, जो परिषद् को विनिर्दिष्ट किया जाए, सलाह देना; और

(भ) उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान में मानकों के अवधारण, समन्वयन और अनुरक्षण से संबंधित ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना, जो राज्य सरकार विहित करे ।

परिषद् की बैठक।

10. (1) परिषद् की बैठकें अपेक्षानुसार आयोजित की जाएंगी। तथापि, छह मास में कम से कम एक बैठक बुलाना अनिवार्य होगा।

(2) परिषद् का सदस्य सचिव, अध्यक्ष की सलाह पर परिषद् की बैठक बुलाएगा।

(3) परिषद् की बैठक की गणपूर्ति अध्यक्ष और सदस्य–सचिव सहित कुल सदस्यों के एक–तिहाई से होगी।

रिक्ति से कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना।

11. परिषद् का कोई कार्य या कार्यवाहियां परिषद् में मात्र किसी रिक्ति, सदस्य की अनुपस्थिति या इसके गठन में कोई त्रुटि है, के आधार पर अविधिमान्य नहीं होंगी।

त्यागपत्र।

12. कोई भी नामनिर्देशित सदस्य अध्यक्ष को त्यागपत्र भेज सकेगाः

परन्तु ऐसा त्यागपत्र उस तारीख से ही प्रभावी होगा, जिसको ऐसा त्यागपत्र अध्यक्ष द्वारा स्वीकार किया गया है।

सदस्यों के भत्ते।

13. सदस्य ऐसे यात्रा भत्ते, दैनिक भत्ते, स्थानीय व्यय और सहभागिता फीस आदि प्राप्त करने के हकदार होंगे, जैसे राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं।

रिक्ति का होना।

14. यदि मृत्यु, त्यागपत्र, सेवानिवृत्ति से या अन्यथा कोई रिक्ति होती है तो राज्य सरकार शेष कार्यकाल के लिए किसी सदस्य को नामनिर्देशित कर सकेगी।

15. (1) परिषद् के लेखे और लेखों की वार्षिक रिपोर्ट, ऐसी रीति में अनुरक्षित की जाएगी, जैसी विहित की जाए। वार्षिक लेखे और संपरीक्षा।

(2) परिषद् के लेखों की संपरीक्षा परिषद् द्वारा नियुक्त संपरीक्षक द्वारा की जाएगी।

(3) सदस्य सचिव लेखों की वार्षिक रिपोर्ट को तैयार करने के लिए उत्तरदायी होगा और प्रत्येक सदस्य को उसकी सीलबन्द प्रति उपलब्ध करवाएगा और उसे अनुमोदन के लिए परिषद् के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

(4) संपरीक्षक द्वारा इंगित गलतियां और अनियमितताएं परिषद् द्वारा सम्यक् प्रक्रिया का अनुसरण करके परिशोधित की जाएंगी।

(5) परिषद् के लेखों की संपरीक्षित रिपोर्ट परिषद् की टिप्पणियों सहित विहित समय सीमा के भीतर राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाएगी।

(6) राज्य सरकार वार्षिक लेखा और संपरीक्षा रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात् उसे यथासंभव शीघ्र राज्य विधानमण्डल के समक्ष रखेगी।

16. (1) परिषद् प्रत्येक वर्ष अपने कार्यकलापों की वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करेगी। वार्षिक रिपोर्ट।

(2) राज्य सरकार वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात् इसे यथा शक्य शीघ्र राज्य विधानमण्डल के समक्ष रखेगी।

17. इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात से हुई क्षति या संभावतः कारित क्षति के लिए किसी लोक सेवक या राज्य सरकार के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं होंगी। सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।

18. (1) परिषद् ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त कर सकेगी जैसे परिषद् के सुचारु कृत्यकरण के लिए आवश्यक समझे जाएं। परिषद् के अधिकारी और कर्मचारिवृंद।

(2) परिषद् के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा के निबंधन व शर्तें ऐसी होंगी, जैसी विहित की जाएं।

परिषद् के सदस्य, अधिकारी और कर्मचारिवृंद का लोक सेवक होना।

19. परिषद् के सदस्य, अधिकारी और कर्मचारी भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे। 1860 का 45

विनियम बनाने की शक्ति।

20. परिषद्, ऐसे विनियम बना सकेगी, जैसे अपेक्षित हों और जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों।

कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति।

21. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित साधारण या विशेष आदेश द्वारा, ऐसे उपबन्ध, जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों से असंगत न हों, कर सकेगी जो उक्त कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों:

परन्तु इस धारा के अधीन कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया कोई आदेश इसके किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा।

नियम बनाने की शक्ति।

22. (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र (ई–गजट) हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए समस्त नियम, इनके बनाए जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, विधान सभा के समक्ष जब यह पन्द्रह दिन से अन्यून अवधि के लिए सत्र में हो, जो एक या दो आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी, रखे जाएंगे और यदि उस सत्र, जिसमें यह इस प्रकार रखे गए हैं या सत्र के ठीक बाद के सत्र के अवसान से पूर्व विधान सभा नियमों में कोई उपांतरण करती है या विधान सभा विनिश्चय करती है कि नियम नहीं बनाए जाने चाहिए, तो ऐसे नियम, यथास्थिति, केवल ऐसे उपान्तरित रुप में ही प्रभावी होंगे या उनका कोई प्रभाव नहीं होगा। तथापि, ऐसे किसी उपांतरण या बातिलीकरण से तद्धीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राज्य में छात्रों को शिक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न शैक्षणिक संस्थान और विनियामक निकाय कृत्यशील हैं। किन्तु सामाजिक–आर्थिक परिवेश के तीव्रता से बदलते परिदृश्य के कारण राज्य में शिक्षा प्रदान करने की पद्धति को समझने की आवश्यकता है। राज्य में उच्चतर शिक्षा के समन्वित विकास हेतु सरकार, विश्वविद्यालयों, उद्योग और जनसाधारण के प्रतिनिधियों तथा शैक्षणिक विशेषज्ञों से समाविष्ट एक संस्थान, जो इसमें सहक्रियात्मक सम्बन्ध स्थापित करने का आशय रखते हों, स्थापित करने की अपेक्षा है। इसलिए नीति निरुपण और सतत् योजना के लिए सरकार को सुसंगत आवक (इनपुटस) प्रदान करके राज्य में उच्चतर शिक्षा के समस्त संस्थानों की स्वायत्तता सुनिश्चित करने और उन्हें शैक्षणिक उत्कृष्टता और सामाजिक–न्याय को बढ़ावा देने के लिए उत्तरदायी बनाने हेतु राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् स्थापित करना अनिवार्य हो गया है। इसलिए, इससे राज्य की बदलती सामाजिक–आर्थिक आवश्यकताओं के अनुसार उच्चतर शिक्षा का मार्गदर्शन करने और उसकी अभिवृद्धि करने में भी सहायता मिलेगी। परिषद्, सरकार और विश्वविद्यालयों तथा विनियामक निकायों के मध्य सेतु के रूप में कार्य करेगी।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(सुरेश भारद्वाज)
प्रभारी मन्त्री।

धर्मशालाः
तारीखः , 2018

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के उपबन्ध अधिनियमित किए जाने पर केवल 65,00,000/– रुपए (पैंसठ लाख रुपए) का एकमुश्त अनावर्ती व्यय अन्तर्वलित होगा। इसके अतिरिक्त राज्य द्वारा प्रति वर्ष लगभग 75,00,000/– रुपए (पचहत्तर लाख रुपए) का आवर्ती व्यय वहन किया जाएगा।

————————

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

विधेयक के खण्ड़ 20 और 22 परिषद् और राज्य सरकार को इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए क्रमशः विनियम और नियम बनाने के लिए सशक्त करते हैं। शक्तियों का प्रस्तावित प्रत्यायोजन अनिवार्य और सामान्य स्वरुप का है।

————————

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें

(नस्ति संख्या ई.डी.एन.–ए–क(1)–16/2013)

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् (स्थापना और विनियमन) विधेयक, 2018 की विषयवस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात् भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करते हैं।

हिमाचल प्रदेश राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् (स्थापना और विनियमन) विधेयक, 2018

उच्चतर शिक्षा के समन्वित विकास के लिए राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् (एस0एच0ई0सी0) की स्थापना, निगमन और विनियमन करने तथा इसके क्रियाकलापों का विनियमन करने और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए **विधेयक।**

(सुरेश भारद्वाज)
प्रभारी मन्त्री।

———————

(यशवन्त सिंह चोगल)
प्रधान सचिव (विधि)।

धर्मशालाः

तारीखः , 2018